

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 78/18

अनवान : 1. सेवासिंह पुत्र बालमुकन्द जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

—वादी

बनाम


1. बालमुकन्द पुत्र मोमन जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. इन्द्रपाल पुत्र बालमुकन्द जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. जयबाला पुत्री बालमुकन्द पत्नी हरपाल जाति जाट निवासी नेठराना हाल ओढा तहसील सिरसा।
4. देवकी पुत्री बालमुकन्द पत्नी मुरारी जाति जाट निवासी नेठराना हाल ओढा तहसील सिरसा।
5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955।**

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वारा 2018 नेठराना में वकीलवादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी आंशिक डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 5 एनटीआर के खाता सं० 105/93 के मु० न. 21 किला न. 25, मु० न. 22 के किला न. 18 ता 22 मु० न. 39 के किला न. 1,2, 9 ता 12 मु० न. 40 के किला न. 5, 6, 14, 15 मु० न. 41 के किला न. 6,7, 14 ता 17, 23 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला में प्रतिवादी बालमुकन्द का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। चक 5 एनटीआर के खाता सं. 234/101 की 4.301 हैक्टर व चक 6 एनटीआर के खाता सं० 197/144 की 4.554 हैक्टर में बालमुकन्द का 120 हिस्सा, चक 7 एनटीआर के खाता सं. 117/114 की कुल 0.506 हैक्टर में बालमुकन्द का 1/2 हिस्सा तथा चक 8 एनटीआर के खाता सं. 98/93 की कुल 3.795 हैक्टर में बालमुकन्द का 1/3 हिस्सा, चारों चकों की भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रखी जावे तथा प्रतिवादी सं. 1, 3 और 4 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.